*संघर्ष* **Sangharsh**

<u>प्रेस विज्ञप्ति</u> **24.11.2010**

# भूमि अधिग्रहण कानून लोकतंत्र के प्रति मजाक है:
## जन आंदोलनों ने विकेन्द्रित विकास नियोजन की मांग की

- *संघर्ष' द्वारा आयोजित राष्ट्रीय संघर्ष तीसरे दिन भी जारी*
- *विस्थापन विरोधी समूहों द्वारा रेणुका बांध रद्द करने का स्वागत*
- *सियांग व पूर्वोत्तर के बांध रद्द हों; विकास चाहिए, विनाश नहीं: केएमएसएस नेता अखिल गोगोई*
- *ग्रामसभा का अधिकार लोक सभा से ऊपर हो: नदी घाटी मोर्चा के गौतम*
- *अब और शहरी विस्थापन नहीं; शहरी संघर्ष कार्यसमूहों ने शहरी अवसरों में हिस्सेदारी एवं भूमि माफिया के खिलाफ कार्रवाई मांग की*
- *एनएपीएम की मांग कि आदर्श सोसायटी व अन्य उल्लंघनकर्ताओ के खिलाफ कार्रवाई हो*

नयी दिल्ली, 24 नवम्बर : भारत सरकार राज्य के संघीय स्वभाव एवं भारतीय संविधान के विपरीत काम कर रही है। पूर्वोत्तर एवं अन्य क्षेत्रों के बांधों के खिलाफ संघर्ष के तीसरे दिन धरने की शुरूआत करते हुए केएमएसएस के नेता अखिल गोगोई ने कहा कि, 'पानी' को केन्द्र के अंतर्गत लाकर सरकार ने केन्द्र एवं राज्य के बीच की समझ का उल्लंघन किया है। सियांग एवं ब्रह्मपुत्र के बांधो के बनने से न सिर्फ में कृषि की रीढ़ टूट जाएगी, बल्कि इससे पूर्वोत्तर क्षेत्र से काफी संख्या में लोग विस्थापित होंगे।

**संघर्ष के प्रतिनिधियों ने केन्द्रीय जल संसाधन मंत्री श्री पवन कुमार बंसल एवं केन्द्रीय पर्यावरण राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्री जयराम रमेश से मुलाकात की**

**श्री जय राम रमेश** ने दल के समक्ष घोषणा की कि रेणुका बांध वन स्वीकृति के मामले में मंत्रालय के नजरिये से रद्द हो चुका है। उन्होंने यह भी कहा कि पूर्वोत्तर के बांधों के मामलों में आंदोलन एवं स्थानीय लोगों द्वारा सामाजिक एवं पर्यावरणीय मामलों पर उठाये गये सवालों के बारे में वे पहले ही प्रधानमंत्री को लिख चुके हैं। उन्होंने प्रतिनिधिमंडल को आश्वस्त किया कि पर्यावरण मंत्रालय द्वारा लवासा परियोजना के पर्यावरणीय असरों के बारे में अध्ययन कराया जा रहा है। उन्होंने आश्वस्त किया कि यदि परियोजना के बारे में कोई उल्लंघन पाया जाता है तो कड़ी कार्रवाई की जाएगी। वन अधिकार अधिनियम के क्रियान्वयन के बारे में उन्होंने कहा कि वे समूह से अलग से 15 दिसम्बर को मिलेंगे। टिहरी बांध के उल्लंघन के बारे में उन्होंने कहा कि, मंत्रालय द्वारा पहले से ही जांच करायी जा रही है और उसके आधार पर कार्रवाई की जाएगी।

**श्री पवन कुमार बंसल** से प्रतिनिधिमंडल ने अनुरोध किया कि देश भर के विभिन्न बांध परियोजनाओं के बारे में फिर से विचार करें। श्री बंसल ने दल को आश्वस्त किया कि उनका मंत्रालय पर्यावरणीय व लोगों की चिंताओं के आगे किसी व्यावसायिक ऊर्जा परियोजना को मंजूरी नहीं देगा। उन्होंने कहा कि जो नयी जल नीति प्रस्तावित है उसके लिए होने वाले विचार–विमर्श में जन संघर्ष के लोग भी आएं ताकि एक नीति को एक व्यापक स्वरूप दिया जा सके।

फोरम फॉर सियांग डायलॉग के श्री बिजय तारम ने कहा कि, भारत सरकार अरूणाचल के लोगों के साथ इस प्रकार व्यवहार करती है जैसे कि हम चीनी सरकार के एजेंट हैं। हमारे लिए यह काफी दुर्भाग्यपूर्ण है कि हम अपने ही सरकार को याद दिलाएं कि हम भारत के नागरिक हैं, चीन के नहीं। यदि क्षेत्र में ऐसी बड़ी परियोजनाओं का निर्माण होता है तो स्थानीय आदिवासी समुदायों का जीवन बुरी तरह प्रभावित होगा। इन परियोजनाओं का सबसे नकारात्मक पक्ष यह है कि इनसे स्थानीय लोग नहीं बल्कि कॉरपोरेशन एवं औद्योगिक घराने लाभान्वित होंगे। उन्होंने कहा कि भूमि अधिग्रहण के इस चरण को समाप्त करने एवं केन्द्रीकृत विकास नियोजन को समाप्त करने के संघर्ष में हम शेष भारत के लोगों के साथ हैं।

**उच्चतम न्यायालय के वरिष्ठ वकील संजय पारिख ने कहा कि, भूमि अधिग्रहण कानून 1894 लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं के प्रति मजाक है। जंतर–मंतर पर 3500 से ज्यादा की भीड़ को सम्बोधित करते हुए उन्होंने आगे कहा कि कि, सरकार द्वारा इस कानून में संशोधन से यह और भी अलोकतांत्रिक हो जाएगा।**

**शहरी विस्थापन एवं विकास के मुद्दों पर**

चेन्नई में शहरी विस्थापन के विरोध में संघर्षरत एवं एनएपीएम तलिनाडु के **अंबोवेदम** ने कहा कि, तमिलनाडु सरकार भूमि अधिग्रहण कानून का इस हद तक दुरूपयोग कर रही है कि वह भूमि बैंक बना रही है, जबकि लोगों को यह भी नहीं बताया जा रहा है कि उनसे यह जमीन क्यों अधिग्रहित की जा रही है। विकास के इस अमानवीय चक्र में ऐसा विस्थापन शामिल है जिसमें

किसानों को उनके खेतों एवं खेती के कामों से विस्थापित किया जाता है, उन्हें चेन्नई जैसे शहरों की ओर धकेला जाता है, उसके बाद शहर के सुन्दरीकरण के नाम पर उन्हें शहरों से भी विस्थापित करते हुए कई बार विस्थापित किया जाता है। भारत सरकार द्वारा यूएस की नवउदारवादी नीतियों के पीछे चलने की आलोचना करते हुए उन्होंने भारत सरकार को चेताया कि भारत सरकार किसी ऐसे देश की नीतियों के पीछे न चले जो अपने ही लोगों को रोजगार एवं खाद्यान्न उपलब्ध नहीं करा पा रही है। अकेले चेन्नई में ही तमाम पुलों, होटलों, हाईवे एवं फ्लाईओवरों के निर्माण की वजह से करीब पांच लाख से ज्यादा शहरी कामगार लोग विस्थापित हुए हैं। उन्होंने सवाल उठाया कि, गरीब जनता ऐसे सरकार पर क्यों भरोसा करे।

राष्ट्रीय घरेलू कामगार यूनियन की **अनीता कपूर**, युवा मुम्बई के **राजू भिसे**, आईडीएस, दिल्ली के **राजेन्द्र रवि** ने शहरी मुद्दों पर लोगों सम्बोधित किया। वक्ताओं ने शहरी परियोजनाओं के लिए किये जाने वाले अधिग्रहण के पुनर्वास पैकेज की आलोचना की। इन परियोजनाओं से न सिर्फ लोगों की जमीने जा रही है बल्कि वे विस्थापित होने के साथ–साथ उनी आजीविका भी नष्ट हो रही है। लोगों के विस्थापन एवं परियाोजना के निर्माण के बाद मजदूरों के योगदान को ध्यान में भी नहीं लिया जाता है। श्री भिसे ने कहा कि, शहरी क्षेत्रों में लोगों को भूमि अधिकार से कम कुछ भी स्वीकार्य नहीं होगा। वक्ताओं ने शहरी परियोजनाओं से प्रभावित लोगों के पुनर्वास के लिए एक अलग कानून की मांग की।

महाराष्ट्र में लवासा परियोजना के खिलाफ संघर्षरत, एनएपीएम, महाराष्ट्र के **गणेशन** ने क्षेत्र में 20 गांवों के लोगों को विस्थापित करने, काफी संख्या में पेड़ों को काटने, लोगों की आजीविका एवं पर्यावरण को नष्ट करने की आलोचना की।

**विस्थापन, कॉरपोरेशन एवं भारत और यूरोपियन यूनियन के बीच प्रस्तावित मुक्त व्यापार समझौता**

*भारत एवं यूरोपियन यूनियन के बीच व्यापार समझौते की आलोचना करते हुए,* ***फोरम अगेंस्ट एफटीए की लीना*** *ने कहा कि, ''भारत में अथाह खनिज भंडार न सिर्फ भारतीयों को बल्कि विदेशी कंपनियों को भी आकर्षित करता है। मुक्त व्यापार समझौते के तहत यूरोपीय कंपनियों को भारतीय खनिजों की उपलब्धता आसान हो जाएगी जिससे भूमि एवं वन के उपयोग के प्रति संघर्ष बढ़ रहा है। यूरोपियन कमीशन के अनुसार इस समझौते से यूरोपीय कंपनियों को आद्योगिक इस्तेमाल के लिए सस्ते खनिज उपलब्ध होने का रास्ता आसान हो जाता है। इसलिए यह सुनिश्चित किया जाना जरूरी है कि ऐसे कंपनियों के लिए लाइसेंस प्रक्रिया सुनिश्चित हो एवं निर्यात की सीमा तय हो। यह समझौता भारत के संवैाानिक ढांचे पर भी एक प्रहार है, जिसमें मनमाने ढंग से शर्ते तय की गई हैं। पोस्को या वेदांता जैसे किसी भी परियोजनाओं में पर्यावरणीय या सामाजिक चिंताओं को ध्यान में रखते हुए सरकार की कार्रवाई क्षमता को कमजोर नहीं किया जाना चाहिए।*

**सुश्री लीना** ने बताया कि दोनों पक्षों ने घोषणा की है कि 10 दिसम्बर को ब्रसेल्स में यूरोपियन यूनियन एवं भारत के सम्मेलन के दौरान समझौते को अंतिम रूप दिया जाएगा। इस मामले में विभिन्न पक्षों एवं सांसदो द्वारा उठाये गये सवालों का कोई जवाब नहीं दिया गया है और पीछे से समझौते की कोशिश की जा रही है।

धरने को असम गण परिषद के सांसद **जोसेफ टोप्पो, विरेन वैश्या एवं कुमार दीपक दास** ने सम्बोधित किया और लोगों मुद्दो के प्रति समर्थन व्यक्त किया। इनके अलावा सीएसडी के **डा. मनोरंजन मोहंती,** बंधुआ मुक्ति मोर्चा के **स्वामी अग्निवेश**, एमकेएसएस के निखिल डे, सीएसीआईएम के जयसेन एवं पीयूसीएल की कविता श्रीवास्तव ने सम्बोधित किया।

लोगों ने एक रैली निकालकर विकेन्द्रित विकास की मांग की एवं संविधन की धारा 243 को क्रियान्वित करने की मांग की।

**राष्ट्रीय संघर्ष के चौथे दिन 25 नवम्बर का फोकस ''भोजन के अधिकार'' पर होगा।**

**मीडिया दल** : (विजयन– 9582862682 / 9868165471, शालिनी शर्मा – 9871076165)

**सम्पर्क पता**: संघर्ष 2010, द्वारा जंगपुरा बेसमेंट, मथुरा रोड, नयी दिल्ली – 110014

फोनः 011–26680883 / 26680914 मधुरेश कुमार (9818905316), बिपिन चन्द्र (9868807129); ईमेलः action2007@gmail.com

[1] ***+ संघर्ष*** सामाजिक जन आंदोलनों एवं जन संगठनों की एक सामूहिक प्रक्रिया है जिसमें नवउदारवादी वैश्वीकरण एवं पूंजीवादी विकास जैसे जन विरोधी नीतियों के खिलाफ संघर्षरत एवं न्यायपूर्ण एवं समतावादी समाज के लिए कार्यरत देश भर के विभिन्न जन आंदोलन एवं जनसंगठन के अलावा पारंपरिक बुनकर, मछुआरे, किसान, दलित, महिलाएं, अल्पसंख्यक आदिवासी शामिल हैं। इसके प्रमुख सदस्यों एवं *जन आंदोलनों का राष्ट्रीय समन्वय, राष्ट्रीय वन–जन श्रमजीवी मंच, राष्ट्रीय घरेलू कामगार यूनियन, राष्ट्रीय साइकिल चालक यूनियन, सेज विरोधी मंच, राष्ट्रीय हॉकर्स फेडेरेशन, नर्मदा बचाओ आंदोलन, घर बचाओ घर बनाओ आंदोलन, कैमूर क्षेत्र महिला मजदूर किसान संघर्ष समिति, कृषक मुक्ति संग्राम समिति, किसान संघर्ष समिति, हिम नीति अभियान, नदी घाटी मोर्चा, आदिवासी मूलनिवासी अस्तित्व रक्षा मंच, जन संघर्ष वाहिनी, जय युवक क्रांति दल, माटू जन संगठन, मच्छीमार अधिकार संघर्ष समिति, रेणुका बांध संघर्ष समिति, बिरसा मुंडा भू–अधिकार मंच, पेन्नूरूईमाई ईयक्कम, पोस्को प्रतिरोध संग्राम समति, वनग्राम एवं भू अधिकार मंच, थारू आदिवासी महिला मजदूर किसान मंच, तराई क्षेत्र महिला मजदूर किसान मंच, पाठा दलित भू अधिकार मंच शामिल हैं।*